संचालनालय,कोष एवं लेखा,
मध्य प्रदेश

क्रमांक/डीटीए/ई-पेमेंट/2014/582/R.4 भोपाल,दिनांक 15-09-2014

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्य प्रदेश।

विषयः- साईबर कोषालय के अन्तर्गत रियल टाईम चालान जनरेशन सुविधा के संबंध में।

विषयान्तर्गत साईबर कोषालय के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा जमा किये जाने वाले कर/शुल्क ऑन लाईन जमा करने की सुविधा है। इसके तहत जमाकर्ता जिसके पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ऑन लाईन भुगतान कर सकता है। वर्तमान में इस सुविधा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित 10 बैंकें जुड़ी हैं तथा समस्त विभागों से संबंधित समस्त प्राप्ति लेखाशीर्ष में ऑन लाईन राशि जमा की जा सकती है।

2- वर्तमान में साईबर कोषालय में जमा की गई राशि की रसीद CIN (चालान आईडेन्टी फिकेशन नम्बर) के साथ बैंक की वेबसाईट पर ही प्राप्त की जाती है तथा भुगतान के 2 दिवस पश्चात्, जमा की गई राशि के लिये CIN के विरूद्व कोषालय द्वारा जारी "चालान संख्या" प्राप्त होती है जो इस बात का साक्ष्य होता है कि राशि शासकीय खाते में जमा हो गई है।

3- साईबर कोषालय में अब नई सुविधा जोड़ी गई है जिसके अनुसार जमाकर्ता द्वारा अपने खाते से ऑन लाईन राशि जमा करने पर उसे उसी समय (online) साईबर कोषालय द्वारा "चालान संख्या" दी जावेगी, फलस्वरूप जमाकर्ता को राशि जमा करने साईबर कोषालय से अथवा यदि जमाकर्ता द्वारा संबंधित विभाग की वेबसाईट के माध्यम से साईबर कोषालय पर जाकर राशि जमा की गई है तब जमा की रसीद संबंधित विभाग के वेबसाईट से उसी समय (online) प्राप्त की जा सकेगी। प्राप्त रसीद में "चालान संख्या" दर्ज होगी।

4- उक्त रसीद जमाकर्ता द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारी के पास चालान के रूप में प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में उसका सत्यापन विभागीय अधिकारी द्वारा स्वयं संचालनालय,कोष एवं लेखा की वेबसाईट www.mptreasury.org पर जाकर चालान सर्च सुविधा का उपयोग कर किया जाना चाहिये।

5- उक्त सुविधा के साथ राशि जमा करने की प्रकिया www.mptreasury.org पर भी देखी जा सकती है।

6- यहां यह भी उल्लेखनीय है कि साईबर कोषालय के अन्तर्गत प्रमुख विभागों, जिनके आईकान साईबर कोषालय पर उपलब्ध है, के साथ-साथ अब समस्त विभागों/लेखाशीर्षो से संबंधित राशि जमा की जा सकती है। इस हेतु कामन ई-चालान साईबर कोषालय पर पृथक से उपलब्ध कराया गया है।

आयुक्त,
कोष एवं लेखा

पृ०कमांक/डीटीए/ई–पेमेंट/2014/ 583/R.4 भोपाल,दिनांक 15-09-2014

प्रतिलिपिः–

1– अपर मुख्य सचिव,म०प्र०शासन,वित्त विभाग,मंत्रालय;भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2– समस्त अपर मुख्य सचिद/प्रमुख सचिव/सचिव,म०प्र०शासन,मंत्रालय,भोपाल की ओर सूचनार्थ

3– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)म०प्र०ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

4– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष एवं लेखा,म०प्र०की ओर सूचनार्थ।

5– समस्त कोषालय अधिकारी,म०प्र० की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक